(7)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

संख्या बी-3-6150/दस-1990

लखनऊः दिनांक 9 अक्टूबर, 1990

सचिवालय के समस्त अनुभाग

राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को धन की उपलब्धता एवं "प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त" के नियम के आधार पर भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार के लिये अग्रिम स्वीकृत किया जाता है। भवन मरम्मत/विस्तार के लिये अग्रिम पूर्व में भवन निर्माण/क्रय हेतु स्वीकृत अग्रिम के उपरान्त 5 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद ही नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकता है।

इधर कुछ समय से यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि अनेक विभागों/विभागाध्यक्षों से निर्धारित अवधि से पूर्व भवन मरम्मत अग्रिम की स्वीकृति हेतु नियमानुसार वित्त विभाग की विशेष अनुमति दिये जाने के लिये काफी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जिनमें से अधिकांश में यह उल्लेख रहता है कि चूंकि स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम की राशि इतनी कम थी कि उससे निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका अतः निर्धारित अवधि से पूर्व भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत कर दिया जाय।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भवन निर्माण/क्रय हेतु जो अग्रिम स्वीकृत किया जाता है उसकी राशि सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन के आधार पर नियमानुसार अनुमन्य सीमा तक ही होती है और जब कोई कर्मचारी इस धनराशि को स्वीकार करता है तो उसे इस विषय में पूर्व में ही विचार कर लेना चाहिए कि वह स्वीकृत धनराशि से किस सीमा तक/कितना निर्माण कार्य करायेगा। यदि इस उद्देश्य के लिये धन कम पड़ जाता है तो कर्मचारी को अतिरिक्त धन की व्यवस्था किसी अन्य स्रोत जैसे आवास संघ, आवास एवं विकास परिषद् एवं एच0 डी0 एफ0 सी0 से करना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये निर्धारित अवधि से पूर्व भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम हेतु अनुरोध किये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह अग्रिम एक निर्धारित उद्देश्य अर्थात् भवन की मरम्मत तथा आवश्यकतानुसार विस्तार हेतु ही अनुमन्य है न कि अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिये।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि कृपया भविष्य में निर्धारित अवधि से पूर्व भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम की स्वीकृति के लिये नियमानुसार वित्त विभाग की विशेष अनुमति दिये जाने के लिये जो प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किये जायें उसका उपर्युक्त आधार पर परीक्षण अवश्य कर लिया जाय तथा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के बारे में सूचना संलग्न प्रपत्र में वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध की जाये और यदि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के लिये मरम्मत अग्रिम की मांग की गई हो तो उसे कृपया अपने स्तर से ही अस्वीकृत कर दें।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को भी उचित निर्देश देने की कृपा करें।

उमेश प्रसाद श्रीवास्तव,
बजट अधिकारी।

प्रपत्र

1---नाम--

2---पदनाम-

3---स्थाई/अस्थाई

4---वेतन (मूल)

5---भवन निर्माण/क्रय अग्रिम कब कितना तथा कितनी किश्तों में स्वीकृत हुआ।

6---भवन निर्माण/क्रय अग्रिम सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली गई है या नहीं।

7---प्रस्ताव प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त सिद्धान्त में आता है या नहीं।

8---भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृति हेतु धनराशि आरक्षित कर ली गई है या नहीं।

9---भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम निर्धारित अवधि से पूर्व मांगने का औचित्य।

10---अन्य विवरण

अग्रिम स्वीकृत करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर।

बी0 एस0 यू0 पी0-ए0 पी0 92 सा0 वित्त-11-10-90-(2385)-1990-1,500 (प्रो0)।